भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1812

दिनांक 28.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

सौर पम्पों के माध्यम से पेयजल

1812. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सौर पम्पों की सहायता से पश्चिम बंगाल के दूरदराज के गांव में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का राज्य में सौर पम्प स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने सौर पम्प पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं;

(ग) क्या ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत गांवों का चयन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का इस योजना के लिए अवसंरचना पूरा करने हेतु धनराशि जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (घ) जल राज्य का विषय है। यह विभाग जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। जेजेएम के अंतर्गत, पेयजल स्कीम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों को चुनने एवं उनके बारे में योजना बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। जेजेएम का अंतिम लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी उपलब्ध कराना है। राज्य, यदि आवश्यक हो तो, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए सौर पम्प आधारित पेयजल आपूर्ति स्कीम शुरू कर सकते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के तहत वर्ष 2018-19 तक 699 सौर पंपों की संस्थापना की जा चुकी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, एमएनआरई के ऑफ-ग्रिड एंड विकेन्द्रीकृत सौर पीवी एप्लीकेशन प्रोग्राम के तहत सिंचाई और पेयजल प्रयोजनों के लिए दिनांक 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में 653 सौर पंप संस्थापित किए गए हैं।